झारखंड केन्द्रीय विश्वविद्यालय

Central University of Jharkhand

(भारतीय संसद अधिनियम 2009 द्वारा स्थापित)

विभागीय अध्ययन समिति बैठक संख्या-4

आज दिनांक 28 जुलाई, 2023 दिन शुक्रवार, पूर्वाह्न 11.00 बजे हिन्दी विभाग की विभागीय अध्ययन समिति की बैठक (ऑनलाइन/ब्लेंडेड मोड) गूगल मीट (https://meet.google.com/wix-wzjb-idn) के माध्यम से संपन्न हुई जिसमें निम्नांकित सदस्य उपस्थित थे।

1. प्रो. रत्नेश विष्वक्सेन प्रोफेसर सह विभागाध्यक्ष, हिन्दी विभाग, अध्ययन समिति अध्यक्ष
2. प्रो. रसाल सिंह प्रोफेसर सह विभागाध्यक्ष, हिन्दी विभाग, जम्मू केन्द्रीय विश्वविद्यालय, बाह्य विषय विशेषज्ञ
3. प्रो. मिथिलेश कुमार सिंह, प्रोफेसर, हिन्दी विभाग, विनोबा भावे, विश्वविद्यालय, बाह्य विषय विशेषज्ञ
4. प्रो. रचना सिंह, प्रोफेसर, हिन्दी विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, बाह्य विषय विशेषज्ञ
5. डॉ. शशि सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर सह विभागाध्यक्ष, शिक्षा विभाग, झा.के.वि.
6. डॉ. मयंक रंजन एसोसिएट प्रोफेसर सह विभागाध्यक्ष, अंग्रेजी विभाग, झा.के.वि.
7. डॉ. रजनीकांत पाण्डेय, असिस्टेंट प्रोफेसर, जनजातीय अध्ययन विभाग, झा.के.वि.
8. डॉ. उपेन्द्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, हिन्दी विभाग, झा.के.वि.
9. डॉ. रविरंजन कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, हिन्दी विभाग, झा.के.वि.
10. डॉ. जगदीश सौरभ, असिस्टेंट प्रोफेसर, हिन्दी विभाग झाकेवि

सर्वप्रथम अध्ययन समिति अध्यक्ष प्रो. रत्नेश विष्वक्सेन ने समिति के सभी सदस्यों का स्वागत किया तदन्तर प्रस्तावित कार्य सूचियों पर चर्चा हुई और सर्वसम्मति से अध्ययन समिति के सदस्यों ने प्रस्तावित कार्यसूचियों को अनुमोदित किया। प्रस्तावित कार्यसूचियों की चर्चा और उनका अनुमोदन निम्नवत है-

कार्यसूची प्रस्ताव संख्या I - नई शिक्षा नीति के आलोक में पाठ्यक्रम अनुमोदन पर सैद्धान्तिक स्वीकृत्ति।

चर्चा और अनुमोदन - इस प्रस्ताव का सभी सदस्यों, विशेषकर बाह्य विषय विशेषज्ञ सदस्यों ने स्वागत किया। सभी ने इसके पक्ष में विचार रखे। बाह्य विषय विशेषज्ञ प्रो. रचना सिंह, प्रो. मिथिलेश कुमार सिंह, प्रो. रसाल सिंह ने पाठ्यक्रम को रोचक, उपयोगी, समसामयिक और रोजगारोन्मुख बताया। तथा कुछ नवीन और अत्यंत प्रासंगिक पाठ्यक्रमों को जोड़ने का सुझाव भी दिया।

चर्चा के उपरांत अध्ययन समिति ने नई शिक्षा नीति के आलोक में पाठ्यक्रम संचालित करने की सैद्धांतिक स्वीकृति दी।

कार्यसूची प्रस्ताव संख्या 2 – चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम में कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम के प्रारूप पर विभागीय कार्यभार के आलोक में चर्चा हुई। तत्पश्चात कुछ संशोधन के साथ सर्वसम्मति से इसे अनुमोदित किया गया।

कार्यसूची प्रस्ताव संख्या 3 – पाँच वर्षीय एकीकृत स्नातक-परास्नातक पाठ्यक्रम पर चर्चा हुई। अध्ययन समिति के बाह्य सदस्यों के कुछ महत्वपूर्ण सुझावों और अपेक्षित संशोधनों के साथ सर्वसम्मति से पाठ्यक्रम को स्वीकृति प्रदान की गई।

कार्यसूची प्रस्ताव संख्या 4 – पूर्व दो समसत्र (प्रथम एवं द्वितीय सत्र 2022-23) के साख संतुलन/अनुकूलन (क्रेडिट ऐडजस्टमेंट) पर चर्चा के बाद अनुमोदित किया गया।

कार्यसूची प्रस्ताव संख्या 5 – पुष्टि/सूचनार्थ/संज्ञान से संबंद्ध प्रस्ताव पर चर्चा

विभागीय अध्ययन समिति के बैठक के दौरान समिति को निम्न सूचनाओं से अवगत कराया गया।

- विभाग में 2021 सत्र में दो शोधार्थियों के नामांकन
- 2022 में पाँच वर्षीय एकीकृत स्नातक परास्नातक पाठ्यक्रम में 25 विद्यार्थियों का नामांकन
- प्रो. रत्नेश विष्वक्सेन के निर्देशन में शिलाची कुमारी का शोध कार्य पूरा हुआ।